



भारतीय खाद्य निगम

एलडीपीई के माध्यम से एपीएस के तहत सूचना संख्या.03/2022-भारतीय खाद्य निगम श्रेणी-II

(एफसीआई एचआरएमएस पोर्टल: www.hrmsfci.in/ वेबसाइट: www.fci.gov.in)

निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय खाद्य निगम के सेवारत पात्र कर्मचारियों से सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (एलडीपीई) आयोजित करके त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) के अंतर्गत निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

अंचल-वार और पद-वार रिक्तियां*:

उत्तर अंचल

| पद | पद कोड | वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रूपये में | अनु जा. | अनु. जन. जा. | अनार क्षित | कुल | पीडब्लूबीडी | | | | |
|---|----------|--|------------|-----------------|---------------|-----|-------------|---|---|------------|-----|
| | | | | | | | क | ख | ग | घ एवं ङ | कुल |
| प्रबंधक (सामान्य) | एन ए | 40000-140000 | 10 | 0 | 25 | 35 | | | | | |
| प्रबंधक (डिपो) | एन बी | 40000-140000 | 3 | 0 | 25 | 28 | | | | | |
| प्रबंधक (परिचालन) | एन सी | 40000-140000 | 3 | 1 | 19 | 23 | | | | | |
| प्रबंधक (लेखा) | एन डी | 40000-140000 | 3 | 3 | 36 | 42 | | | | | |
| प्रबंधक (तकनीकी) | एन ई | 40000-140000 | 8 | 4 | 14 | 26 | | | | | |
| प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) | एन एफ | 40000-140000 | 0 | 0 | 3 | 3 | | | | | |
| प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | एन जी | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | |
| प्रबंधक (राजभाषा) | एन एच | 40000-140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| कुल | | | 27 | 8 | 123 | 158 | | | | | |

दक्षिण अंचल

| पद | पद कोड | वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रूपये में | अनु. जा. | अनु. जन. जा. | अनार क्षित | कुल | पीडब्लूबीडी | | | | |
|---|--------|--|-------------|--------------------|---------------|-----|-------------|---|---|------------|-----|
| | | | | | | | क | ख | ग | घ एवं इ | कुल |
| प्रबंधक (सामान्य) | एस ए | 40000-140000 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (डिपो) | एस बी | 40000-140000 | 4 | 2 | 23 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (परिचालन) | एस सी | 40000-140000 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (लेखा) | एस डी | 40000-140000 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (तकनीकी) | एस ई | 40000-140000 | 3 | 1 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) | एस एफ | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | एस जी | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (राजभाषा) | एस एच | 40000-140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | 11 | 4 | 81 | 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |

पश्चिम अंचल

| पद | पद कोड | वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रूपये में | अनु. जा. | अनु. जन. जा. | अना रक्षि त | कुल | पीडब्लूबीडी | | | | |
|----------------------|--------|--|-------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|---|---|------------|-----|
| | | | | | | | क | ख | ग | घ एवं इ | कुल |
| प्रबंधक (सामान्य) | एस ए | 40000-140000 | 3 | 1 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------|----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| प्रबंधक (डिपो) | एस बी | 40000-140000 | 1 | 0 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (परिचालन) | एस सी | 40000-140000 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (लेखा) | एस डी | 40000-140000 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (तकनीक) | एस ई | 40000-140000 | 3 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) | एस एफ | 40000-140000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | एस जी | 40000-140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (राजभाषा) | एस एच | 40000-140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | 10 | 2 | 60 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

पूर्वी अंचल

| पद | पद कोड | वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रूपये में | अनु. जा. | अनु. जन. जा. | अना रक्षि त | कुल | पीडब्लूबीडी | | | | |
|----------------------|-----------|--|-------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|---|---|------------|-----|
| | | | | | | | क | ख | ग | घ एवं इ | कुल |
| प्रबंधक (सामान्य) | ई ए | 40000-140000 | 3 | 1 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (डिपो) | ई बी | 40000-140000 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (परिचालन) | ई सी | 40000-140000 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (लेखा) | ई डी | 40000-140000 | 2 | 1 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (तकनीकी) | ई ई | 40000-140000 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|----|---|----|----|---|---|---|---|---|
| प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) | ई एफ | 40000-140000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | ई जी | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (राजभाषा) | ई एच | 40000-140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल | | | 10 | 4 | 66 | 80 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |

उत्तर पूर्वी अंचल

| पद | पद कोड | वेतनमान (आईडीए पैटर्न) रू. में | अनु. जा. | अनु. जन. जा. | अना रक्षि त | कुल | पीडब्लूबीडी | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----|-------------|----|----|-------------|-----|
| | | | | | | | ए | बी | सी | डी एवं ई | कुल |
| प्रबंधक (सामान्य) | एन ई ए | 40000-140000 | 2 | 1 | 14 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| प्रबंधक (डिपो) | एन ई बी | 40000-140000 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (परिचालन) | एन ई सी | 40000-140000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (लेखा) | एन ई डी | 40000-140000 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (तकनीक) | एन ई ई | 40000-140000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग) | एन ई एफ | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग) | एन ई जी | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रबंधक (राजभाषा) | एन ई एच | 40000-140000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| कुल | | | 2 | 2 | 37 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|-----|--|--|---|---|----|----|---|---|---|---|---|

यू आर- अनारक्षित; अनु.जा.- अनुसूचित जाति ; अनु.ज.जा. - अनुसूचित जन जाति; पीडब्लूडी- बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति।

पीडब्लूडी श्रेणी को क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।

* रिक्तियों की संख्या भारतीय खाद्य निगम की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।

पात्रता मानदंड:

- (i) उम्मीदवार केवल अपने मूल क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकता है।
- (ii) एपीएस के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता मौजूदा पदोन्नति दिशानिर्देशों के अनुसार होगी अर्थात् निगम के सभी मौजूदा वर्ग- III कर्मचारी अपने संबंधित संवर्ग में अपनी मौजूदा योग्यता के साथ वर्ग- II पदों के लिए एपीएस के तहत पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
- (iii) एपीएस के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एपीएआर ग्रेडिंग पिछले तीन वर्षों के लिए 'बहुत अच्छी' होनी होगी उस वर्ष को छोड़कर जिसमें सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा अधिसूचित की गई है।
- (iv) कर्मचारियों को एपीएस के तहत सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए आवेदन करते समय और चयन की स्थिति में एपीएस के तहत पदोन्नति के आदेश के समय सतर्कता के दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए।
- (v) वर्ग -II (प्रबंधक स्तर) पदों पर नियुक्ति के लिए एपीएस के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा में बैठने के लिए पात्रता मानदंड वर्ग - III पद में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होगा। तीन साल के अनुभव में परिवीक्षा अवधि शामिल नहीं होगी। अनुभव की गणना 31.12.2021 से की जाएगी।
- (vi) एलडीपीई में कुल अंकों का 10% प्रशिक्षण या/और परिवीक्षा अवधि को छोड़कर तीन साल से अधिक के अनुभव के लिए इस तरह आवंटित किया जाएगा कि सेवा/अनुभव के अधिकतम 10% प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 1% अंक आवंटित किए जा रहे हैं। कुल अंकों का शेष 90% ऑनलाइन लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- (vii) अनुभव के आधार पर अंक आवंटित करने के उद्देश्य से, परिवीक्षा की समाप्ति की गणना की तिथि वर्ग III के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष या वर्ग III के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष (यदि परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी गई है) पुष्टिकरण आदेश जारी करने की तारीख से बिल्कुल अलग होगी।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विभागीय प्रतियोगी/अर्हता परीक्षा के मानकों में समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित छूट का पालन किया जाएगा।
- (ix) एलडीपीई के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) केवल उसी संवर्ग के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और क्रॉस कैडर त्वरित पदोन्नति योजना उपलब्ध नहीं होगी।
- (x) **नोट :**
 - i. आवेदन का तरीका केवल ऑनलाइन है। आवेदन पत्र की मुद्रित / हार्ड कॉपी पर विचार नहीं किया जाएगा।

- ii. **ऊपरी आयु सीमा और प्रयासों की संख्या:** एपीएस के तहत एलडीपीई में उपस्थित होने के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। हालांकि, वर्ग- II(प्रबंधक) स्तर के पदों के लिए एपीएस के तहत नियुक्ति के लिए एलडीपीई में उपस्थित होने के लिए अधिकतम चार प्रयासों की अनुमति होगी।
- iii. एपीएस प्रोन्नति का उप भाग होने के कारण योजना, परिवीक्षा, दंड, आरक्षण रोस्टर आदि के अनुसार पात्रता निर्धारित करने की तिथि के संदर्भ में सभी नियम/दिशानिर्देश वही होंगे जो उक्त पदों पर पदोन्नति के लिए लागू होते हैं।

आरक्षण और छूट:

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है; ये उम्मीदवार अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं; बशर्ते वे अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हों।
2. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार किसी पद के लिए ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई रिक्ति आरक्षित न हो। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार योग्यता के सामान्य मानक के आधार पर ऐसे पद पर चयन के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि ऐसे पद की पहचान पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के लिए उपयुक्त हो।

बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए स्क्राइब का उपयोग करने के लिए दिशानिर्देश:

क-भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) के का.जा. संख्या 34- 02/2015-डीडी-III दिनांक 29 अगस्त, 2018 और का.जा. सं. 34-02/2015-डीडी-III(पीटी) दिनांक 8 फरवरी, 2019 के अनुसार - बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश, स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक के लिए पात्र विकलांग उम्मीदवारों के पास अपने स्वयं के स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक चयन करने का विवेकाधिकार है। या परीक्षा निकाय से इसके लिए अनुरोध करें।

ख-इसके अलावा उक्त कार्यालय जापान के पैरा-IV के अनुसार, स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सुविधा केवल नेत्रहीनता, लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी (दोनों हाथ प्रभावित- बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को यदि ऐसा है तो व्यक्ति द्वारा वांछित दी जाएगी।

ग- बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के लिए, स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक के प्रावधान की अनुमति इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने और कीबोर्ड उपयोग करने के लिए शारीरिक सीमा है, और निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-ए) के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से उनकी ओर से परीक्षा में लिखने और कीबोर्ड उपयोग करने के लिए स्क्राइब आवश्यक है ।

घ-अपने स्वयं के स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक को लाने का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवार के लिए, स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक दर्जा नीचे होनी चाहिए।

(ङ) यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक दर्जा नीचे नहीं है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

च. तदनुसार, उपरोक्त परीक्षा में बैठने वाले विकलांग उम्मीदवार जो स्क्राइब के लिए पात्र हैं, (जैसा कि ऊपर पैरा-ख और ग में दिया गया है) को सलाह दी जाती है कि यदि उन्हें एफसीआई से स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है,

तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन करते समय इसका संकेत देना होगा । इसके अलावा, ऐसे उम्मीदवार एफसीआई के आंचलिक कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय जिसके तहत उनका परीक्षा केंद्र है दो दिन पहले स्क्राइब से मिलने और यह सत्यापित करने के लिए जा सकता है कि स्क्राइब उपयुक्त है या नहीं। एफसीआई के आंचलिक कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों के पते और ईमेल आईडी एफसीआई की वेबसाइट यानी <http://fci.gov.in/contactUs.php> पर उपलब्ध हैं।

छ. उपरोक्त परीक्षा में अपने स्वयं के स्क्राइब का उपयोग करने वाले पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन 'स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म (अनुलग्नक-बी) जमा करना आवश्यक है।

ज. सभी उम्मीदवार बेंचमार्क विकलांग जो स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, उन्हें प्रतिपूरक समय के रूप में प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, चाहे वे स्क्राइब की सुविधा का उपयोग करें या नहीं।

झ. यह नोट किया जाए कि यदि स्क्राइब/रीडर/लैब सहायक के लिए पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते समय एफसीआई से स्क्राइब सहायता के लिए आवेदन नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि उसे एफसीआई से स्क्राइब की आवश्यकता नहीं है और वह इसके लिए अपने आप ही व्यवस्था कर सकता है।

ञ. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को एक स्क्राइब की सहायता लेने और प्रतिपूरक समय का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज़ सत्यापन / ऑनलाइन परीक्षा स्थल (जैसा लागू हो) के समय ऊपर उल्लिखित अपेक्षित प्रमाण- पत्र जमा करना आवश्यक होगा, ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ट. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यदि यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी ।

ठ. ये दिशानिर्देश भारत सरकार के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हों, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

चयन प्रक्रिया:

एलडीपीई के तहत चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से होगी।

सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा केंद्रीय रूप से आयोजित की जाएगी और साक्षात्कार के बिना वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी। एलडीपीई के लिए वेटेज कुल अंकों का 90% होगा। परीक्षा पत्र दो भागों में होगा जिसमें शामिल हैं:

परीक्षा संरचना

| क्रम संख्या . | परीक्षा | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | अवधि | महत्व |
|---------------|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|
| पेपर 1 | सामान्य अभिक्षमता /जागरूकता | 50 | 50 | 60 मिनट | 25 % |
| पेपर 2 | भाग क | 30 | 30 | 120 मिनट | 15 % |
| | भाग ख | 100 | 100 | | 50% |
| | कुल | 180 | 180 | 180 मिनट | 90% |

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 5 विकल्प होंगे.
- ऑनलाइन टेस्ट में **नेगेटिव** मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक पेनल्टी के रूप में काटे जाएंगे।

नोट :

1.यंहा चयनित उम्मीदवारों की सूची और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों की सूची होगी। चयन सूची में उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के बराबर होगी, और प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की संख्या चयन सूची के 0.5 गुना होगी।

2. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एफसीआई की एचआरएमएस पोर्टल / वेबसाइट और एफसीआई मुख्यालय, आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों/डिपो कार्यालयों के नोटिस बोर्ड को नियमित रूप से देखते रहें।

परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

निर्दिष्ट पद के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:

प्रबंधक(सामान्य):

पेपर - I

1. सामान्य अभिक्षमता जिसमें शामिल हैं
 - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
 - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
 - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर - II

भाग - ए

1. एफसीआई कर्मचारी विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, एफसीआई का अवलोकन और शक्ति का प्रत्यायोजन (डीओपी), डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि का सामान्य ज्ञान, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, एमएसपी तय करने के लिए सीएसीपी फॉर्मूला, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, एफसीआई की पिछले 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट- एफआर नियम आदि।

भाग - बी

1. सीसीएस नियम, एचआरएमएस, भंडारण, अनुबंध, परिचालन, डीसीपी संचालन सहित खरीद, प्रारंभिक पैरामीटर, निरीक्षण आदि, आईआर (एल), गुणवत्ता नियंत्रण, वाणिज्यिक, भंडारण हानि और पारगमन हानि और सतर्कता सहित कर्मियों से संबंधित परिपत्र और निर्देश, जीईएम और ई-प्रोक्चोरमेंट पोर्टल के माध्यम से सामानों की ऑनलाइन खरीद और सेवाओं को किराए पर लेने

सहित खरीद, आईटी में डिपो ऑनलाइन सिस्टम, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस और विधिक एलआईएमबीएस सहित जैसी नई पहल शामिल हैं। .

2. अधिनियम जैसे: अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, आरटीआई अधिनियम, 2005, एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946।

प्रबंधक (डिपो):

पेपर - I

1. सामान्य ज्ञान जिसमें . शामिल हैं
 - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
 - सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
 - कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर जागरूकता

पेपर - II

भाग - ए

1. एफसीआई और एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों अवलोकन के साथ। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य ज्ञान, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास- एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, पिछले 3 साल की एफसीआई की वार्षिक रिपोर्ट- आदि।

भाग - बी

1. भंडारण, अनुबंध, आवाजाही, डीसीपी संचालन सहित खरीद से संबंधित परिपत्र और निर्देश, प्रारंभिक पैरामीटर, निरीक्षण आदि, आईआर (एल), गुणवत्ता नियंत्रण, वाणिज्यिक, भंडारण हानि और पारगमन हानि और सतर्कता, माल की ऑनलाइन खरीद और किराए पर लेने सहित खरीद जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल, आईटी के माध्यम से सेवाओं की नई पहल जैसे डिपो ऑनलाइन सिस्टम केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस और विधिक एलआईएमबीएस सहित जैसी नई पहल शामिल हैं।

2. अधिनियम जैसे: अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, आरटीआई अधिनियम, 2005, एफएसएसएआई अधिनियम, 2006 और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946।

प्रबंधक (लेखा):

पेपर - I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं
 - रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी

- सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर्स
- कंप्यूटर ज्ञान

पेपर - II

भाग - क

1. एफसीआई और एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों अवलोकन के साथ, डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य ज्ञान, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास- एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स द्वारा निर्धारित सरकार भारत सरकार, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों वार्षिक की रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

भाग - ख

1. के संबंध में निर्देश और परिपत्र

- निगम के खातों/मूल प्रविष्टियों की पुस्तकों का रखरखाव।
- आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली/निगम/कैग का लेखापरीक्षा कार्य लेना।
- एफएपी- एपीपीएस-एपी, एआर, फिक्स्ड एसेट्स, जीएल मॉड्यूल।
- एफएपी-पेट्रोल-कर्मचारी, श्रम, पेंशन, सीपीएफ।
- बीटीएस
- आयकर
- वस्तु एवं सेवा कर

प्रबंधक (तकनीकी):

पेपर-I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं

- रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
- सामान्य जागरूकता, करेंट अफेयर्स
- कृषि, कृषि अर्थव्यवस्था और कंप्यूटर ज्ञान

पेपर - II

पार्ट - क

1. भारतीय खाद्य निगम, कर्मचारी विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ, भारतीय खाद्य निगम का अवलोकन और शक्ति का प्रत्यायोजन (DoP)। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंडों का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, फूड फोर्टिफिकेशन, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, एफसीआई की पिछले 3 साल वार्षिक रिपोर्ट- जीएफआर नियम, ऑनलाइन जीडम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से माल की खरीद और सेवाओं को किराए पर लेना।

पार्ट-ख

1. परिपत्र और निर्देश के संबंध में

- i. डिपो ऑनलाइन सिस्टम का क्यूसी मॉड्यूल
- ii. डीसीपी संचालन और थ्रेसहोल्ड पैरामीटर, भंडारण, संरक्षण और वितरण सहित खरीद।
- iii. श्रेणीकरण और वर्गीकरण करने के दौरान अनाज के नमूने और विश्लेषण के तरीके.
- iv. रोगनिरोधी और उपचारात्मक उपचार, प्री-मानसून धूमन।
- v. खाद्यान्नों की एक समान विशिष्टताएं, विभिन्न मानकों की परिभाषा.
- vi. धान, चावल और गेहूं की स्वीकृति और अस्वीकृति प्रक्रिया.
- vii. बीआरएल स्टॉक्स के लिए अपील प्रक्रिया।
- viii. गुणवत्ता शिकायत प्रक्रिया।
- ix. राज्य पीडीएस को स्टॉक जारी करते समय संयुक्त नमूनाकरण प्रक्रिया
- x. गढ़वाले चावल की खरीद और वितरण।
- xi. पौष्टिक चावल का पौष्टिकीकरण और उसके परीक्षण।
- xii. डीसीपी स्टॉक का निरीक्षण (दो प्रतिशत, दस प्रतिशत, पंद्रह प्रतिशत)।
- xiii. खाद्यान्नों के एफएसएसएआई पैरामीटर।
- xiv. विभिन्न प्रकार के भंडारण कीट और इसका जीवन चक्र और नियंत्रण तंत्र।
- xv. वायु-मिश्रण /वातन की प्रक्रिया।
- xvi. पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक आदि का चावल निरीक्षण एवं अन्य अनिवार्य/आवधिक निरीक्षण।
- xvii. गैर-जारी करने योग्य स्टॉक का वर्गीकरण और इसके निपटान की प्रक्रिया।
- xviii. 'सी एंड डी'/उन्नयन योग्य स्टॉक का निपटान।

प्रबन्धक(परिचालन):

पेपर-।

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं

- रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
- सामान्य ज्ञान , करेंट अफेयर्स
- कंप्यूटर ज्ञान

पेपर -II

पार्ट -क

1. एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों के साथ और एफसीआई का अवलोकन । डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य ज्ञान , खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंड का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य सुदृढीकरण, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार के द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

पार्ट ख

1. डिपो ऑनलाइन सिस्टम का मूवमेंट मॉड्यूल
2. परिपत्र और निर्देश के संबंध में
 - i. रेल/सड़क द्वारा खाद्यान्न की प्राप्ति
 - ii. माल की डिलीवरी
 - iii. रेल/सड़क द्वारा खाद्यान्नों का प्रेषण
 - iv. रेलवे का दावा
 - v. फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम (एफओआईएस)
 - vi. ईआरडी/ईटीआरआर
 - vii. विलंब शुल्क, घाट शुल्क के तहत, दंडात्मक शुल्क आदि।
 - viii. रीबुकिंग/डायवर्सन/इंटरसेप्शन
 - ix. गुम और असंबद्ध वैगन
 - x. रेल भाड़ा
 - xi. साइडिंग से संबंधित प्रभार
 - xii. परिवहन के वैकल्पिक साधन

xiii. रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था।

xiv. थोक में ढुलाई

प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग):

पेपर - I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं

- रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
- सामान्य ज्ञान , करेंट अफेयर्स
- कंप्यूटर ज्ञान

पार्ट - II

पार्ट - क

1. एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों और एफसीआई के अवलोकन। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंड का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसीपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य सुदृढीकरण, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

पार्ट - ख

1. ऊष्मप्रवैगिकी(थर्मोडायनामिक्स), हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर-कंडीशनिंग, मशीनी शिद्धांत , मशीन डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मैटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैटेरियल्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मटेरियल हैंडलिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट, नेटवर्क थ्योरी, ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स , सामग्री विज्ञान (विद्युत सामग्री), विद्युत माप, संगणना के तत्व बिजली उपकरण और सिस्टम (विद्युत प्रणाली: बिजली उत्पादन; थर्मल, हाइड्रो, परमाणु और सौर ऊर्जा उत्पादन और प्रसारण), इलेक्ट्रो यांत्रिकी, नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, अनुमान और लागत, कंप्यूटर का उपयोग।
2. विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली, दिल्ली और एसओपी दर (डीएसआर)की अनुसूची
3. सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के अनुसार विद्युत और यांत्रिक कार्यों के लिए अनुमान तैयार करना

4. एलडब्ल्यूबी (सड़क के साथ-साथ स्थिर और गतिमान रेलवे वेटब्रिज सहित) - स्थापना, संचालन और रखरखाव; इस संदर्भ में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के प्रावधान।
5. खाद्यान्न बैगों की हैंडलिंग के लिए बैग-स्टेकर और कन्वेयर सिस्टम- प्रकार और उनका संचालन
6. साइलोज- उनके प्रकार और विनिर्देश; प्रचालन एवं रखरखाव
7. भारत सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, से संबंधित नीतियां/दिशानिर्देश/लक्ष्य।
8. साइट ऑर्डर बुक, सीमेंट रजिस्टर, बाधा रजिस्टर, माप पुस्तकों में रिकॉर्ड प्रविष्टियां, आरए बिल, कार्यों के लिए अंतिम बिल की तैयारी, पास ऑर्डर का रिकॉर्ड आदि। इंजीनियरिंग डीओपी हेड वार, इंजीनियरिंग परिपत्र और काम करने के सामान्य नियम।
9. पीईजी/सिलोस/पीडब्ल्यूएस की भर्ती के संबंध के प्रकार और विनिर्देश। साइलोज

प्रबंधक (सिविल इंजीनियरिंग):

पेपर – I

1. सामान्य योग्यता जिसमें शामिल हैं

- रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, न्यूमेरिकल एबिलिटी
- सामान्य ज्ञान , करेंट अफेयर्स
- कंप्यूटर ज्ञान

पेपर – II

भाग – क

1. एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971 नवीनतम संशोधनों और एफसीआई के अवलोकन। डिपो संचालन का अवलोकन, खाद्य निगम अधिनियम 1964, भारतीय कृषि की सामान्य जागरूकता, खाद्य सुरक्षा-बफर मानदंड का अवलोकन, लागत पत्रक, सरकारी योजनाएं और नवीनतम विकास-एनएफएसए, पीएमजीकेवाई, ओएमएसएस, एमएसपी, सीएसपी फॉर्मूला एमएसपी तय करने के लिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, खाद्य सुदृढीकरण, डब्लूडीआरए, आईटी पहल-डॉस, केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी), केंद्रीय खाद्यान्न भंडारण पोर्टल (सीएफएसपी), ई-ऑफिस, एचआरएमएस, एलआईएमबीएस, डीसीपी/गैर-डीसीपी मोड खरीद संचालन, भारत सरकार द्वारा निर्धारित थ्रेसहोल्ड पैरामीटर्स, केंद्रीय खरीद पोर्टल, एफसीआई की पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट-, जीएफआर नियम, सामानों की ऑनलाइन खरीद और जीईएम और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल आदि के माध्यम से सेवाओं को किराए पर लेना।

भाग – ख

1. इंजीनियरिंग सामग्री और निर्माण प्रौद्योगिकी: निर्माण के लिए साइट का चयन भवनों के निर्माण हेतु योजना और अभिविन्यास, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, ध्वनिकी । भवन और राजमार्ग बनाने की सामग्री, पत्थर, ईंट की लकड़ी, चूना, सीमेंट मोर्टार, सादा और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, बिटुमेन, डामर.
2. निर्माण सामग्री: पत्थर, कांच, चूना, प्लास्टिक, स्टील, एफआरपी, चीनी मिट्टी की चीज़ें, एल्युमिनियम, फ्लाइ एश, बुनियादी मिश्रण, इमारती लकड़ी, ईंटें और कुल वर्गीकरण, गुण और चयन मानदंड, सीमेंट आदि।

3. निर्माण अभ्यास, योजना और प्रबंधन: निर्माण योजना, उपकरण, साइट जांच, निविदा प्रक्रिया और अनुबंध प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादकता, संचालन लागत; भूमि अधिग्रहण, श्रम सुरक्षा और कल्याण।
4. सर्वेक्षण: सर्वेक्षण, समतल करना, स्तरों और थियोडोलाइट का अस्थायी और स्थायी समायोजन, थियोडोलाइट का उपयोग, टैकोमेट्री, त्रिकोणमितीय और त्रिभुज सर्वेक्षण, कोंटूर और कंटूरिंग, क्षेत्रों और खंडों की गणना।
5. सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल अपडेट 2019, सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन 2019, सीपीडब्ल्यूडी एसओपी और अपडेटेड संशोधन, प्लिंथ एरिया रेट्स 2021, दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट्स 2021, एनालिसिस ऑफ रेट्स 2021, ऑफिस बिल्डिंग की प्लानिंग, बेरीज फ्री एक्सेसिबिलिटी, वर्क्स पर सीपीडब्ल्यूडी का अपडेटेड सर्कुलर भी गुणवत्ता आश्वासन, संरचना के पुनर्वास आदि के रूप में।
6. गोदामों में सीसी सड़कों का डिजाइन, विस्तार और अन्य जोड़, डॉवेल आदि.
7. डीएसआर/बाजार दरों पर विस्तृत अनुमान और सीपीडब्ल्यूडी पीएआर पर प्रारंभिक अनुमान तैयार करना।
8. वर्षा जल संचयन, तूफानी जल निकासी, नाबदान कुएं/पंपिंग मशीनरी व्यवस्था का विवरण.
9. गोदामों, अनुषंगी भवनों, कार्यालय भवन, गोदामों के मानक डिजाइन और ड्राइंग, एफएआर, खुले स्थान डिजाइन, गोदाम परिसर के अंदर सड़क नेटवर्क, गोदामों / भवनों के प्रकार के लिए सामग्री के विनिर्देशों के लिए योजना तैयार करना।
10. एफसीआई के इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों और मॉडल निविदा प्रपत्र पर विस्तृत जानकारी।
11. ई-निविदा और संबंधित मुद्दे, तकनीकी और मूल्य बोली, दरों का औचित्य आदि.
12. सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों के अनुसार गोदाम और भवन निर्माण कार्यों के लिए फील्ड परीक्षण.
13. साइट ऑर्डर की बुक, सीमेंट के रजिस्टर, बाधा रजिस्टर, माप पुस्तकों में रिकॉर्ड प्रविष्टियां, आरए बिल, कार्यों के लिए अंतिम बिल की तैयारी, पास किए गए ऑर्डर का रिकॉर्ड इत्यादि। इंजीनियरिंग डीओपी हेड वार, इंजीनियरिंग परिपत्र और काम करने के सामान्य नियम.
14. सिविल इंजीनियरिंग में नवीनतम तकनीक और अवधारणा जिसे आईएफसीआई के बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल किया जा सकता है।
15. आईएस कोड 16144, क्यूसीआई और डब्ल्यूडीआरए आवश्यकताओं और विनिर्देशों से विस्तृत जानकारी।

प्रबन्धक (हिंदी)

1. हिन्दी साहित्य से संबंधित सामान्य ज्ञान
General knowledge related to Hindi Literature.
2. हिन्दी से अंग्रेज़ी अनुवाद हेतु शब्द/वाक्य
Word/sentences for Hindi to English translation.
3. अंग्रेज़ी से हिन्दी अनुवाद हेतु शब्द/वाक्य
Word/sentences for English to Hindi translation.
4. राजभाषा नीति
Official Language Policy.

5. राजभाषा अधिनियम

Official Language Act.

6. राजभाषा नियम

Official Language Rules.

7. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबन्धित विभिन्न परिपत्र

Various circulars regarding Implementation of O.L. Policy.

महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश:

1. उम्मीदवार अपने संवर्ग में अपने क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों के लिए ही अपने मूल क्षेत्र में आवेदन कर सकता है।
2. एलडीपीई के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना (एपीएस) केवल एक ही संवर्ग के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है और क्रॉस कैडर त्वरित पदोन्नति योजना उपलब्ध नहीं होगी।
3. हालांकि, यदि यह पाया जाता है कि, किसी भी कारण से, उम्मीदवार ने कई आवेदन जमा किए हैं, तो ऑनलाइन आवेदन की सबसे अधिक संख्या वाले "पंजीकरण संख्या" को जो सभी तरह से पूर्ण हो उसे पर केवल एफसीआई द्वारा विचार किया जाएगा और जमा किए गए अन्य आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदित पद के लिए उम्मीदवार पर आवेदित क्षेत्र के भीतर पद के लिए उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।
5. कॉल लेटर डाउनलोड करें
6. ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को एफसीआई की एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट (www.fci.gov.in) पर जाना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। एक बार जब उम्मीदवार संबंधित लिंक पर क्लिक करेगा, तो वह कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए विंडो तक पहुंच जाएगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए (i) रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, (ii) पासवर्ड/जन्मतिथि का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीदवार को कॉल लेटर पर हाल ही में पहचाने जाने योग्य फोटो चिपकाने होंगे, जैसा कि पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया था और पर (i) कॉल लेटर (ii) फोटो पहचान प्रमाण के साथ नीचे दिया गया है और कॉल लेटर और फोटोकॉपी में भी निर्दिष्ट है, वही फोटो पहचान प्रमाण जो मूल रूप में लाया गया हो, के साथ निर्धारित स्थान पर पहुँचना है।
7. ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा का समय और स्थान दर्शाया गया हो, परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / www.fci.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। जो उम्मीदवार अपना कॉल लेटर ऑनलाइन जेनरेट करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें परीक्षा की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले <http://cgrs.ibps.in> पर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी।
8. **उम्मीदवार** जो देरी से यानी परीक्षा के लिए कॉल लेटर पर निर्दिष्ट रिपोर्टिंग समय के बाद रिपोर्ट करेंगे

उन उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बुलावा पत्र पर उल्लिखित रिपोर्टिंग समय परीक्षा के प्रारंभ समय से पहले का है हालांकि परीक्षा की अवधि 03:00 घंटे है, उम्मीदवारों को विभिन्न औपचारिकताओं जैसे सत्यापन और विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों के संग्रह, लॉग इन, निर्देश, आदि।

उम्मीदवारों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में वर्तमान में वैध एफसीआई पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को अपने साथ, परीक्षा हॉल में, कॉल लेटर(बिल्कुल वही नाम जो कॉल लेटर पर दिखाई देता है) के साथ मूल और उम्मीदवार के वर्तमान में वैध एफसीआई पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी लानी होगी

नोट: उम्मीदवारों को एफसीआई पहचान पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी और परीक्षा में शामिल होने के समय परीक्षा कॉल लेटर के साथ उसकी फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कॉल लेटर (पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान प्रदान किया गया) पर दिखाई देने वाला नाम एफसीआई पहचान पत्र पर दिखाई देने वाले नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।

9. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के बारे में जानकारी एफसीआई की वेबसाइट पर पोस्ट की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार नियमित रूप से एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट www.fci.gov.in पर जा सकते हैं।
10. उम्मीदवार <http://cgrs.ibps.in> पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सामान्य सूचना/ निर्देश:

1. पदों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों, अनुभव आदि की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, विज्ञापन को पढ़ने के बाद उम्मीदवारों द्वारा सावधानीपूर्वक विकल्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, पेजर या किसी अन्य संचार उपकरण को परीक्षा हॉल जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश द्वार पर आरोग्य सेतु स्थिति प्रदर्शित होने के बाद, उम्मीदवारों को अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा, और इसे निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा, जिसे बाहर निकलते समय एकत्र किया जाएगा।
3. प्रश्न पत्र में कोई विसंगति होने पर परीक्षा आयोजित करने के 03 दिनों के भीतर <http://cgrs.ibps.in> पर ध्यान में लाया जा सकता है। इसके बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन स्तर पर, ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी करने से पहले पात्रता, श्रेणी और अन्य पहलुओं की जांच नहीं की जाएगी। हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानीपूर्वक जांच करें और खुद को संतुष्ट करें कि वे विस्तृत भर्ती सूचना में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। भर्ती सूचना में निर्दिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया में भाग न लें। यदि, किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पद के लिए भर्ती सूचना में निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं

करता है, तो उसकी उम्मीदवारी सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त पद के लिए आपकी उम्मीदवारी अनंतिम है।

5. उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करें, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखें क्योंकि इसका उपयोग भविष्य में पत्राचार के लिए किया जा सकता है। एफसीआई पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से परीक्षा के लिए कॉल लेटर डाउनलोड करने की सूचना भेज सकता है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले और उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को बनाए रखना होगा।

6. सभी उम्मीदवारों के लिए बिना किसी अपवाद के अपना फोटो, हस्ताक्षर और कोई अन्य दस्तावेज, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है, अपलोड करना अनिवार्य है।

7. एक परीक्षार्थी की लिखित और स्क्राइब घोषणा पत्र की शारीरिक सीमा के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रारूप क्रमशः अनुलग्नक ए और बी में प्रदान किए गए हैं। उम्मीदवार ध्यान दें कि परीक्षा स्थल पर परीक्षा के दिन इन प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को अन्य आवश्यक संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

9. परीक्षा केंद्रों की राज्यवार सूची इस प्रकार है:

| | |
|-----------------|------------------------------|
| आंध्र प्रदेश | विजयवाड़ा, गुंटूर, राजमुंदरी |
| असम | गुवाहाटी |
| बिहार | पटना |
| छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| दिल्ली | दिल्ली/एनसीआर |
| गुजरात | अहमदाबाद |
| हरयाणा | अंबाला |
| हिमाचल प्रदेश | बिलासपुर, बदी, हमीरपुर |
| जम्मू और कश्मीर | जम्मू |
| झारखंड | रांची |
| कर्नाटक | बेंगलुरु |

| | |
|--------------|----------------|
| केरल | तिरुवनंतपुरम |
| मध्य प्रदेश | भोपाल |
| महाराष्ट्र | मुंबई |
| उड़ीसा | भुवनेश्वर |
| पंजाब | चंडीगढ़/मोहाली |
| राजस्थान | जयपुर |
| तमिल नाडु | चेन्नई |
| तेलंगाना | हैदराबाद |
| उत्तर प्रदेश | लखनऊ |
| उत्तराखंड | देहरादून |
| पश्चिम बंगाल | कोलकाता |

नोट:

- क. परीक्षा संबंधित कॉल लेटर में दिए गए स्थानों पर ऑनलाइन आयोजित की जाएगी.
- ख. परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान/दिनांक/सत्र में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को केंद्र का चयन ध्यान से करते समय ध्यान देना होगा और अपने आवेदन में इसे सही ढंग से इंगित करना होगा ।
- ग. हालांकि, एफसीआई के पास किसी भी परीक्षा केंद्र को रद्द करने और/या प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर अपने विवेक से कुछ अन्य केंद्रों को जोड़ने का अधिकार आरक्षित है।
- घ. एफसीआई उम्मीदवार को उसके द्वारा चुने गए केंद्र के अलावा किसी अन्य केंद्र में आवंटित करने का अधिकार भी आरक्षित रखता है.
- ड. उम्मीदवार अपने जोखिम पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे और एफसीआई किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- च. उम्मीदवार द्वारा एक बार चुने जाने के बाद केंद्र का विकल्प अंतिम होगा।
- छ. यदि पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार "ऑनलाइन" परीक्षा के लिए किसी विशेष केंद्र का विकल्प नहीं

चुनते हैं, तो एफसीआई उन उम्मीदवारों को कोई अन्य आसन्न केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या यदि उम्मीदवारों की संख्या किसी केंद्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपलब्ध क्षमता से अधिक है, एफसीआई उम्मीदवार को कोई अन्य केंद्र आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. **टाई मामलों का समाधान:** किसी विशेष पद पर टाई के मामले में, ऑनलाइन एलडीपीई परीक्षा के पेपर- II में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार टाई का समाधान किया जाएगा। टाई के बने रहने की स्थिति में, इसे जन्म तिथि तक हल किया जाएगा, अर्थात् अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा, यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो नाम के वर्णानुक्रम का हवाला देकर टाई का समाधान किया जाएगा अर्थात् जिस उम्मीदवार का नाम वर्णमाला से शुरू होता है जो वर्णानुक्रम में पहले आता है उसे वरीयता मिलेगी।

10. केवल आवेदन जमा करने और पात्रता शर्तों को पूरा करने से किसी भी उम्मीदवार को ऑनलाइन परीक्षा आदि में शामिल होने का अधिकार नहीं मिल जाता है।

11. पात्रता शर्तों को पूरा किए बिना किसी भी पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा में शॉर्टलिस्ट करने से उम्मीदवार को पद पर अंतिम चयन के लिए कोई दावा नहीं मिलेगा।

12. उम्मीदवारों को अतिरिक्त निर्देशों का पालन करना चाहिए, यदि कोई एफसीआई द्वारा अधिसूचित किया गया हो। इन रिक्तियों को भरना भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन है।

13. किसी भी स्तर पर आवेदन के परिणाम के बारे में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

14. एफसीआई के किसी विशेष क्षेत्र में चयन होने पर उम्मीदवार को उस क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में तैनात किया जा सकता है। हालांकि, उन्हें निगम के हित में देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।

15. परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को छुट्टी के लिए आवेदन नहीं करना होगा और इसे आधिकारिक दौरा माना जाएगा। हालांकि, उम्मीदवारों को उनकी पात्रता के अनुसार परीक्षा में बैठने के लिए सबसे छोटे मार्ग से "आने-जाने" के लिए यात्रा भत्ता (टीए) दिया जाएगा। हालांकि, उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए कोई महंगाई भत्ता (डीए) / आवास शुल्क नहीं दिया जाएगा।

16. उम्मीदवार को 31/12/2021 तक सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना सुनिश्चित करना चाहिए। उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे पद के लिए आवेदन करने से पहले सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

17. ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर जारी करना उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और इसे पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कार्यभार ग्रहण करते समय, यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि उम्मीदवार द्वारा लाए गए दस्तावेज संबंधित पद के लिए आवश्यकता के अनुसार सभी तरह से पूर्ण हैं। दस्तावेज किसी भी स्तर पर आगे सत्यापन के अधीन हैं।

18. आवेदन करते समय सतर्कता स्थिति, सफल उम्मीदवारों की एपीएआर स्थिति, अनुभव आदि का सत्यापन

लिखित परीक्षा के पूरा होने के बाद, लेकिन परिणाम के प्रकाशन से पहले विभागीय रूप से किया जाएगा।

19. सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन मेरिट सूची और रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।

20. यदि प्रस्तुत किया गया कोई दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो एक राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित अंग्रेजी या हिंदी में उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी है।

21. एफसीआई अपने विवेकाधिकार पर किसी भी स्तर पर उम्मीदवारों से पुनः परीक्षा आयोजित करने या किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

22. किसी भी तरह से निगम को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास अयोग्यता और उम्मीदवारी की अस्वीकृति का परिणाम होगा।

23. परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

24. परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या होने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षण वितरण और/या परिणाम उत्पन्न होने से प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों की आवाजाही, परीक्षा में देरी शामिल हो सकती है। पुनः परीक्षा का आयोजन परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय के पूर्ण विवेक पर है। उम्मीदवारों का पुनः परीक्षा के लिए कोई दावा नहीं होगा। उम्मीदवार जो आगे बढ़ने के इच्छुक नहीं हैं या परीक्षण वितरण की विलंबित प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक नहीं हैं, उनकी उम्मीदवारी प्रक्रिया से तत्काल खारिज कर दी जाएगी।

25. यदि परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित की जाती है, तो विभिन्न सत्रों में उपयोग की जाने वाली विभिन्न परीक्षण बैटरियों के कठिनाई स्तर में मामूली अंतर को समायोजित करने के लिए विभिन्न सत्रों के अंकों को बराबर किया जाएगा। यदि नोड्स की क्षमता कम है या किसी केंद्र पर या किसी उम्मीदवार के लिए कुछ तकनीकी व्यवधान होता है तो एक से अधिक सत्रों की आवश्यकता होती है।

26. सही और गलत उत्तरों की समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अलग-अलग उम्मीदवारों के उत्तरों (उत्तरों) का अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों के साथ विश्लेषण किया जाएगा। यदि विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में, यह अनुमान/निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्रतिक्रियाओं को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक/वैध नहीं हैं, तो एफसीआई ऐसे उम्मीदवारों के परिणाम को रोकने और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

27. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में अपना स्वयं का पेन नहीं लाना चाहिए। पेन की व्यवस्था एफसीआई करेगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में रफ शीट प्रदान की जाएगी और उम्मीदवार को रफ शीट को प्रयोगशाला / स्थान से बाहर निकलते समय या परीक्षा अधिकारियों द्वारा बताए गए निर्धारित स्थान पर दिए गए बॉक्स में डालना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा।

29. स्कोर पर पहुंचने की प्रक्रिया

ऑनलाइन परीक्षा के अंक निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाकर प्राप्त किए जाते हैं:

(i) उम्मीदवार द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंकों पर पहुंचने के लिए माना जाता है।

(ii) उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को समान अंक प्राप्त करने के लिए विभिन्न सत्रों में आयोजित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में कठिनाई के स्तर में मामूली अंतर, यदि कोई हो, को ध्यान में रखते हुए समकक्ष बनाया गया है।

* किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को सभी फॉर्मों के अंकों के वितरण पर विचार करके आधार फॉर्म के बराबर किया जाता है।

बायोमेट्रिक डेटा-कैप्चरिंग और वेरिफिकेशन

- बायोमेट्रिक डेटा (अंगूठे का निशान) और उम्मीदवारों की फोटो ऑनलाइन परीक्षा के दिन ली जाएगी। बायोमेट्रिक डेटा और फोटोग्राफ बाद में सत्यापित किए जाएंगे। अपनी स्थिति (मिलान या बेमेल) के संबंध में बायोमेट्रिक डेटा सत्यापन प्राधिकरण का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि एक सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।
- यदि उंगलियों पर (स्याही/मेहंदी/रंग आदि की मुहर लगी हुई है) कोटिड तो उन्हें अच्छी तरह से धोना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षा/कार्यग्रहण दिवस से पहले कोटिंग पूरी तरह से हट जाए।
- अगर उंगलियां गंदी या धूल से भरी हैं, तो उंगलियों के निशान (बायोमेट्रिक) पर कैप्चर से पहले उन्हें धोना और सुखाना सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि दोनों हाथों की उंगलियां सूखी हैं। यदि उंगलियां नम हैं, तो उन्हें सुखाने के लिए प्रत्येक उंगली को पोंछ लें।
- यदि प्राथमिक उंगली (अंगूठे) चोटिल/क्षतिग्रस्त है, तो तुरंत परीक्षा केंद्र पर संबंधित प्राधिकारी को सूचित करें।

नोट: - हालांकि, किसी भी महामारी जैसी स्थिति के प्रसार या इस आशय से सरकारी अधिकारी द्वारा किसी प्रतिबंध के मामले में एफसीआई / परीक्षा आयोजित करने वाले निकाय द्वारा उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

1. विस्तृत दिशा-निर्देश/प्रक्रिया के लिए

क आवेदन पंजीकरण

ख दस्तावेज़ स्कैन और अपलोड

उम्मीदवार केवल 15.09.2022, 10:00 बजे (आईएसटी) से 14.10.2022, 16:00 बजे (आईएसटी) तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. पंजीकरण से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को चाहिए-

(i) उनका स्कैन करें:

फोटोग्राफ (4.5cm ×3.5cm)

हस्ताक्षर (काली स्याही से)

- बाएं अंगूठे का निशान (काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर)

- एक हस्तलिखित घोषणा (काली स्याही से सफेद कागज पर) (नीचे दिया गया पाठ) यह सुनिश्चित करना कि ये सभी स्कैन किए गए दस्तावेज़ विज्ञापन में दिए गए आवश्यक विनिर्देशों का पालन करते हैं।

- (i) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (ii) बाएं अंगूठे के निशान को ठीक से स्कैन किया जाना चाहिए और धुंधला नहीं होना चाहिए। (यदि किसी उम्मीदवार के पास बायां अंगूठा नहीं है, तो वह आवेदन करने के लिए अपने दाहिने अंगूठे का उपयोग कर सकता है।)
- (iii) हस्तलिखित घोषणा का पाठ इस प्रकार है-
- (iv) "मैं, _____ (उम्मीदवार का नाम), एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही, सत्य और वैध है। जब भी आवश्यकता होगी मैं सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करूंगा। "
- (v) उपर्युक्त हस्तलिखित घोषणा उम्मीदवार द्वारा हस्तलिखित और केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य भाषा में लिखा और अपलोड किया गया है, तो आवेदन को अमान्य माना जाएगा। (दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के मामले में, जो लिख नहीं सकते हैं, वे घोषणा पत्र का टेक्स्ट टाइप करवा सकते हैं और टाइप किए गए डिक्लेरेशन के नीचे अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगा सकते हैं और विनिर्देशकों के अनुसार दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं।)
- (vi) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हो, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। परीक्षा आदि के लिए कॉल लैटर डाउनलोड करने की सूचना पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से भेजी जा सकती है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपना नया ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए।

क आवेदन पंजीकरण

1. उम्मीदवार एफसीआई की एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट (www.fci.gov.in) पर जाएं और "ऑनलाइन आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें जिससे एक नई स्क्रीन खुल जाएगी।
2. आवेदन पंजीकृत करने के लिए, "नए पंजीकरण के लिए यहां क्लिक करें" टैब चुनें और नाम, संपर्क विवरण और ईमेल-आईडी दर्ज करें। सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जनरेट किया जाएगा और स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवार को अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड नोट करना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को दर्शाने वाला एक ईमेल और एसएमएस भी भेजा जायेगा।

3. यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पत्र को पूरा करने में असमर्थ है, तो वह "सेव एंड नेक्स्ट" टैब का चयन करके पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकता है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण सत्यापित करने के लिए "सेव एंड नेक्स्ट" सुविधा का उपयोग करें और यदि आवश्यक हो तो उसी को संशोधित करें। दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और अंतिम रूप से जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए विवरणों को सत्यापित करवाना चाहिए कि वे सही हैं।
4. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरणों को सावधानीपूर्वक भरने और सत्यापित करने की सलाह दी जाती है क्योंकि पूर्ण पंजीकरण बटन पर क्लिक करने के बाद कोई परिवर्तन संभव/विचार नहीं किया जाएगा।
5. उम्मीदवार या उसके पिता / पति आदि का नाम आवेदन में सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र / अंक पत्र / पहचान प्रमाण में दिखाई देता है। कोई भी बदलाव / परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
6. अपने विवरण की पुष्टि करें और 'अपना विवरण सत्यापित करें' और 'सेव और अगला' बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन सेव करें।
7. बिंदु "ग" के तहत विस्तृत फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैनिंग और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देशों में दिए गए विनिर्देशकों के अनुसार उम्मीदवार फोटो और हस्ताक्षर करें।
8. उम्मीदवार आवेदन पत्र के अन्य विवरण भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. पूर्ण पंजीकरण से पहले प्रिव्यू टैब पर क्लिक करें और पूरे आवेदन पत्र सत्यापित करें।
10. यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें और सत्यापित करने और आपके द्वारा अपलोड किए गए कि फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और भरे गए अन्य विवरण सही हैं यह सुनिश्चित करने के बाद ही 'पूर्ण पंजीकरण' पर क्लिक करें ।
12. 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।

ख. दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार को नीचे दिए गए विनिर्देशकों के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे के निशान और हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज की आवश्यकता होगी।

फोटोग्राफ इमेज: (4.5cm × 3.5cm)

- फोटोग्राफ हाल ही की पासपोर्ट स्टाइल का रंगीन चित्र होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि चित्र, हल्के रंग के, विशेषतः सफेद, बैकग्राउंड के लिए लिये गये रंग में हो।
- आराम से चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें।
- अगर फोटो धूप वाले दिन ली गई है, तो सूरज को अपने पीछे रखें, या अपने आप को छाया में रखें, ताकि आंखे झुके नहीं और कोई कठोर छाया न हो।
- अगर आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" नहीं है ।

- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं है और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।
- टोपी, हेल्मेट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। किसी धार्मिक हेडवियर की अनुमति है लेकिन यह आपके चेहरे को ढकना नहीं चाहिए।
- आयाम 200 x 230 पिक्सेल (विशेषतः) ।
- फ़ाइल का आकार 20kb-50 kb .के बीच होना चाहिए ।
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50kb से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 केबी से अधिक है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान स्कैनर की सेटिंग्स जैसे डीपीआई रिज़ॉल्यूशन, रंगों की संख्या आदि को समायोजित करें।

हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा इमेज:

- आवेदक को श्वेत पत्र पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने होंगे।
 - आयाम 140 x 60 पिक्सेल (विशेषतः)
 - फ़ाइल का आकार 10kb - 20kb के बीच होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20kb से अधिक नहीं है।
- आवेदक को अपने बाएं अंगूठे का निशान सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना है।
 - फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
 - आयाम: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) यानी 3 सेमी * 3 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
 - फ़ाइल का आकार: 20 केबी - 50 केबी
- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी।
 - फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
 - आयाम: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (आवश्यक गुणवत्ता के लिए पसंदीदा) यानी 10 सेमी * 5 सेमी (चौड़ाई * ऊंचाई)
 - फ़ाइल का आकार: 50 केबी - 100 केबी
- हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा आवेदक की होने चाहिए न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- यदि परीक्षा के समय हस्ताक्षरित उपस्थिति पत्रक या कॉल लैटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।

दस्तावेजों को स्कैन करना:

- स्कैनर के रिजोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- रंग को सही रंग में सेट करें।
- ऊपर निर्दिष्ट अनुसार फ़ाइल का आकार

o स्कैनर में इमेज को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हाथ से लिखी घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।

o इमेज फ़ाइल JPG या JPEG प्रारूप में होनी चाहिए। एक उदाहरण फ़ाइल नाम है: image01.jpg या image01.jpeg। फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज आयामों की जांच की जा सकती है।

o MS Windows/MsOffice का उपयोग करने वाले उम्मीदवार MS Paint या MsOffice Picture Manager का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेनू में 'इस रूप में सेव' विकल्प का उपयोग करके किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को .jpg / .jpeg प्रारूप में सेव किया जा सकता है। क्रॉप और फिर आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- 0 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- o संबंधित लिंक पर क्लिक करें "फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करें/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करें"
- o उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन की गई फोटो/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा फ़ाइल सेव की गई है।
- o उस पर क्लिक करके फ़ाइल का चयन करें।
- o 'ओपन/अपलोड' पर क्लिक करें।
- 0 यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- o अपलोड की गई इमेज का प्रिव्यू इमेज की गुणवत्ता को देखने में मदद करेगा। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के लिए पुनः अपलोड किया जा सकता है।

आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपना फोटो, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को निर्दिष्ट के रूप में अपलोड नहीं करते हैं।

नोट:

- (1) यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखी गई घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार का आवेदन खारिज किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटोग्राफ / हस्ताक्षर / बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि फोटो स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करना

से पहले अपने आवेदन को एडिट कर सकता है और अपना फोटो या हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकता है। ।

- (3) उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किया जाने वाला फोटो आवश्यक आकार का है और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
- (5) यदि फोटो के स्थान पर फोटो अपलोड नहीं किया जाता है तो परीक्षा के लिए प्रवेश को अस्वीकार / अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (6) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं
- (7) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को बाएं अंगूठे का निशान और हाथ से लिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें "बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करें"
- उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन किए गए बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा फ़ाइल सेव की गई है।
- फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें।
- 'ओपन/अपलोड' बटन पर क्लिक करें आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप अपने बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को निर्दिष्ट नहीं करते हैं।
- यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित के अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- अपलोड की गई इमेज के प्रिव्यू से इमेज की गुणवत्ता देखने में मदद मिलेगी। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के लिए पुनः अपलोड किया जा सकता है।

नोट:

- (1) यदि बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखी गई घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार का आवेदन खारिज किया जा सकता है।
- (2) ऑनलाइन आवेदन पत्र में बाएं अंगूठे का निशान / हाथ से लिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि फोटो स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि बाएं अंगूठे का निशान या हाथ से लिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले अपने आवेदन को एडिट कर सकते हैं और अपने अंगूठे के निशान / हाथ से लिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकते हैं।
- (3) ऑनलाइन पंजीकरण के बाद उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सिस्टम से ऑनलाइन

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।

कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग के दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ या मनगढ़ंत विवरण प्रस्तुत नहीं करना चाहिए और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना नहीं चाहिए। परीक्षा के समय या उसके बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में लिप्त पाया जाता है (या किया गया है)-

अनुचित साधनों का उपयोग करना या

ii. किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण प्राप्त करना या

iii. परीक्षा हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा (परीक्षाओं) की सामग्री को प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, संचारित करना, भंडारण करना या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना या किसी भी रूप में या किसी भी तरह से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी जानकारी को पूर्ण रूप से या उसके हिस्से में या यंत्रवत् किसी प्रयोजन के लिए या

iv. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या

v. अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

vi. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या संचार के इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने पर, ऐसा उम्मीदवार खुद को आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, उत्तरदायी हो सकता है:

नोट: उम्मीदवार नियमित अपडेट के लिए एफसीआई की एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट www.fci.gov.in देख सकते हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण केवल 15.09.2022, 10:00 बजे (आईएसटी) से 14.10.2022, 16:00 बजे (आईएसटी) तक सक्रिय रहेगा। अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी आवेदन करें।

| अनंतिम अनुसूची | | |
|----------------|---|---|
| 1. | ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना | 15.09.2022, 10:00 बजे से (आईएसटी) |
| 2. | ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय | 14.10.2022, 16:00 बजे तक (आईएसटी) |
| 3. | डाउनलोड के लिए एचआरएमएस पोर्टल / वेबसाइट पर कॉल लैटर उपलब्धता | परीक्षा की घोषित तिथि से 10 दिन पहले |
| 4. | ऑनलाइन परीक्षा की तिथि | एचआरएमएस पोर्टल (www.hrmsfci.in) / वेबसाइट www.fci.gov.in पर घोषित किया जाएगा अनंतिम रूप से माह - 2022 |

ऑनलाइन आवेदन जमा करने में नेटवर्क समस्याओं या किसी अन्य समस्या के लिए एफसीआई जिम्मेदार नहीं होगा।

परीक्षार्थी को लिखने के लिए शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित करता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती _____ (विकलांग उम्मीदवार का नाम), व्यक्ति _____ (विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत) के साथ, पुत्र/श्री/पुत्री/श्री _____, का निवासी _____ (गांव/जिला/राज्य) और यह बताने के लिए कि उसकी शारीरिक सीमाएँ हैं जो उसकी विकलांगता के कारण उसकी लेखन क्षमताओं को बाधित करती हैं, की जांच की है

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान

नाम और पदनाम। सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम सील के साथ

स्थान:

दिनांक:

नोट:

प्रमाण पत्र संबंधित धारा/विकलांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए दृश्य हानि-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोको मोटर विकलांगता-आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ/पीएमआर)।

अनुलग्नक-ख

घोषणा

हम, अधोहस्ताक्षरी, श्री/श्रीमती/कुमारी _____ योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवार _____ और श्री/श्रीमती/कु. पात्र लेखक (स्क्राइब) योग्य उम्मीदवार के लिए योग्यता रखते हैं, एतद द्वारा घोषित करते हैं कि:

1. स्क्राइब की पहचान उम्मीदवार द्वारा अपने खर्च पर और अपनी पसंद के अनुसार की जाती है।
2. यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित नहीं है और स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम नीचे नहीं है, तो उसकी उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में उम्मीदवार पद और उससे संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो देगा।
3. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कर्मियों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।
4. उम्मीदवार अंधापन, लोको-मोटर विकलांगता (बॉथम्स प्रभावित-बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति है।
5. बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, उम्मीदवार को स्क्राइब के प्रावधानों की अनुमति दी जा

सकती है, बशर्ते कि दस्तावेज सत्यापन के समय, उसे एक सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किए गए अपेक्षित प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-बी) में प्रस्तुत करना होगा कि , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2018 ओ.एम. संख्या 34-02/2015-डीडी के प्रावधानों के अनुसार, मेरे पास लिखने के लिए शारीरिक सीमा है, और मेरी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है ।।। ।

6. नियमों के अनुसार, स्क्राइब की सेवाएं लेने वाला उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र है।
7. समय के महत्व और परीक्षा के प्रतिस्पर्धी प्रकृति के होने के मद्देनजर, उम्मीदवार संगठन के चिकित्सा अधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट करने का वचन देता है कि प्वाइंट 3 में उल्लेखित विकलांगता के कारण उसकी लेखन गति प्रभावित होती है इस कारण एक स्क्राइब के उपयोग की आवश्यकता थी ।
8. उम्मीदवार ने आश्वस्त किया है कि स्क्राइब उसी भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार नहीं है।
9. स्क्राइब ने सुनिश्चित किया है कि वह उसी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो रहा है।
10. हमारे द्वारा दिए गए उपरोक्त सभी कथन हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हम यह भी समझते हैं कि यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि हम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं और/या हमारे द्वारा दी गई जानकारी गलत/झूठी है या हमने किसी महत्वपूर्ण तथ्य (तथ्यों) को छुपाया है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी आवेदक (उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों, यदि वह एक ही परीक्षा में उपस्थित हुआ है) परीक्षा के परिणाम के बावजूद रद्द कर दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई भी कमी पाई जाती है, तो उसका / उसकी सेवाएं समाप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसी परिस्थितियों में, दोनों हस्ताक्षरकर्ता आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे।

मैं, (स्क्राइब का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ।

मैं, (उम्मीदवार का नाम) इस भर्ती के लिए उम्मीदवार प्रमाणित करता हूँ कि मैंने सुनिश्चित किया है कि उपरोक्त कर्मचारी इस भर्ती के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

हमारे हस्ताक्षर और संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं: -

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| | स्क्राइब | उम्मीदवार |
| | हस्ताक्षर: | हस्ताक्षर: |
| | नाम: | नाम: |
| | पता: | |
| स्क्राइब का फोटो | संपर्क नंबर: | संपर्क नंबर: |

नोट: किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

